रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2554] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 2554] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015

का.आ. 3235(अ).--निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली में पुष्पावती नदी के ऊपरी ओर अवस्थित है और यह उद्यान उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश सं. 4278/14-3-66/80 दिनांक 6 सितंबर, 1982 द्वारा अस्तित्व में आया जिसका क्षेत्रफल लगभग 87.5 वर्ग किलोमीटर है । फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान के गठन का मुख्य उद्देश्य उद्यान की वनस्पतियों और जीव की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षा करना है । फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है ।

और, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्कृष्ट प्राणिजात तथा वानस्पतिक विविधता वाली बहुमूल्य भूमि है जहां असंख्य मोहक फूल पाए जाते हैं और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में फूलदार पौधों की 5220 से भी अधिक प्रजातियां और पश्चिमी हिमालय की 500 से भी अधिक विशिष्ट गैर संवहनी प्रजातियां सम्मिलित रूप से विद्यमान हैं जिनमें से लगभग 300 प्रजातियों में सुंदर फूल निकलते हैं जो इस घाटी में मई से अक्तूबर तक प्राकृतिक रूप से खिलते हैं। ब्रहमकमल (सौसुरिया ऑबवलाटा) और अनेक अन्य के अतिरिक्त प्राइमूला (प्राइमूला डेन्टीकुलेट) सबसे सुंदर फूलदार प्रजातियों में से एक है। इनमें से अधिकांश औषधीय पौधे हैं;

और, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति की एक हितकारी भेंट है जिसमें न केवल वानस्पतिक विविधता, बल्कि प्राणिजात विविधता भी विद्यमान है। इस उद्यान में तथा इसके आस-पास वन्य स्तनपायियों की कुल 13 प्रजातियां विद्यमान रही हैं। इनमें से कुछ हिमालयन ब्लैक बियर (सेलेनारक्टॉस थिबेटानस), हिमालयन ताह्र (हेमटिरागस जेमलाहिकस), स्नो ल्योपार्ड (पैन्थेरा अनसिया), और कॉमन ल्योपार्ड (पैन्थेरा पार्डस), मस्क डियर (मॉस्यस थिसोगास्कर), सेरो (कैपरिकोर्निस सुमात्रैन्सिस), ब्लूशीप (श्युडोइस नयाउर), हिमालयन ब्राउन बियर हैं। इस घाटी में पक्षियों की भी प्रचुरता है। इन सभी कारणों से फूलों की घाटी प्रकृति प्रेमियों, वनस्पतिशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के लिए सदा ही आकर्षण का केन्द्र रही है। घाटी के गौरव को बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है;

और, यह घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा तथा धौलीगंगा की मुख्य घाटियों में पड़ती है और फूलों की घाटी नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व का दूसरा कोर जोन है। यह उद्यान हिमाच्छादित शिखरों अर्थात् नीलगिरि पर्वत (6407 मीटर), गौरी पर्वत (6708 मीटर), रतबन (5400 मीटर), सप्तश्रृंग (5025 मीटर) और कुंटरवल (5855 मीटर) के बीच बसा है और दक्षिण में घनघरिया अथवा भायन्डर घाटी से घिरा है।

और मानव निवास के लिए राष्ट्रीय उद्यान के बंद किए गए आस-पास के क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा के दौरान पर्यटन गतिविधियों तथा लंबी अवधि के लिए वन्यजीव संरक्षण को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की गतिविधियों पर उचित सुरक्षा और उपायों की आवश्यकता है तथा उन पर नियंत्रण करना है ।

और, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के आस-पास जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 0 से 4.35 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा, फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम में 0 से 4.35 किलोमीटर विस्तार के साथ 46 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है । पारिस्थितिक संवेदी जोन फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से उत्तर, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम में प्रस्तावित नहीं है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशांतर **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास कोई भी राजस्व ग्राम नहीं है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए उक्त योजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) उक्त योजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ; और
(viii) उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड .

(5) उक्त योजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता तथा पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) उक्त महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) उक्त योजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) उक्त योजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 32, 35, 40 और 45 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टैंट, लकड़ी के मकान;

(iii) वर्षा जल संचयन, और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध किए जा सके, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों ।

(3) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड सरकार के राजस्व और वन विभागों के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित जारी मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान के एक किलोमीटर सीमा के भीतर होटलों और रिसार्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे सिवाय विधि के अनुसार पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी निवास स्थानों के;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा की दृष्टि से केवल पूर्वपरिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में नए होटलों और रिसोर्टों का स्थापन अनुज्ञात होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	होटलों, लॉज और रिसोर्ट के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(10)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(11)	यात्रा मार्ग के किनारे पेड़ों के आसपास कंक्रीटिंग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(12)	उच्च मस्तूल रोशनी ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(13)	डीजे और उच्च स्वर संगीत।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(14)	आवाज करने वाले जनरेटर सेट ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(15)	कचरा	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप :	
(16)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
(17)	धार्मिक पर्यटन/ पारिस्थितिकीय पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	वैज्ञानिक अध्ययन/ अनुसंधान/दस्तावेज़ीकरण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	अधिक ऊंचाई ट्रैकिंग/ पर्वतारोहण/साहसिक खेल	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
(21)	कृषि प्रणाली में प्रबल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।

		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(23)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(24)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
(25)	रात्रि में यानीय यातायात की गतिविधियां ।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित होंगे ।
(26)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
(27)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	मेडिस्नल पौधों/जड़ी बूटी/ जैविक नमूनों/वन उपज या गैर इमारती लकड़ी वन उपज का संग्रह (एनटीएफपी)	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपभोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा: परंतु यह कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) 1 किलोमीटर के आगे और परिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महोयोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
(31)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(32)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(33)	सुरक्षा बलों के शिविर ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(34)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु नए काष्ठ आधारित उद्योग केवल आयातित काष्ठ के स्टॉक का उपयोग करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापित किए जा सकते हैं ।
(35)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अभिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(36)	खच्चरों और खच्चरों के सायबान ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(37)	नए यात्रा मार्गों का निर्माण और पुराने यात्रा मार्गों का रख-रखाव ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(38)	रज्जु मार्ग परियोजना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
(39)	डेयरी, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा ।
(40)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।
(41)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।

(42)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से अनुज्ञात किया जाएगा ।
(43)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।
(44)	ठहरने के लिए आश्रय	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।
(45)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) निदेशक, नंदादेवी जैवमंडल रिजर्व - अध्यक्ष ;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, चमोली - उपाध्यक्ष ;

(ग) भारत के वन्यजीव संस्थान का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(घ) पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ

(ङ) उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, जोशीमठ - सदस्य ;

(च) वन्यजीव वार्डन, फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान - सदस्य ;

(छ) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(ज) रेंज अधिकारी, फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान - सदस्य ;

(झ) पारिस्थितिक विकास समिति का अध्यक्ष, भ्यूदांर- सदस्य ;

(ञ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(ट) उप-वन संरक्षक, नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथानिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उप-आयुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/99/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध I</u>

फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

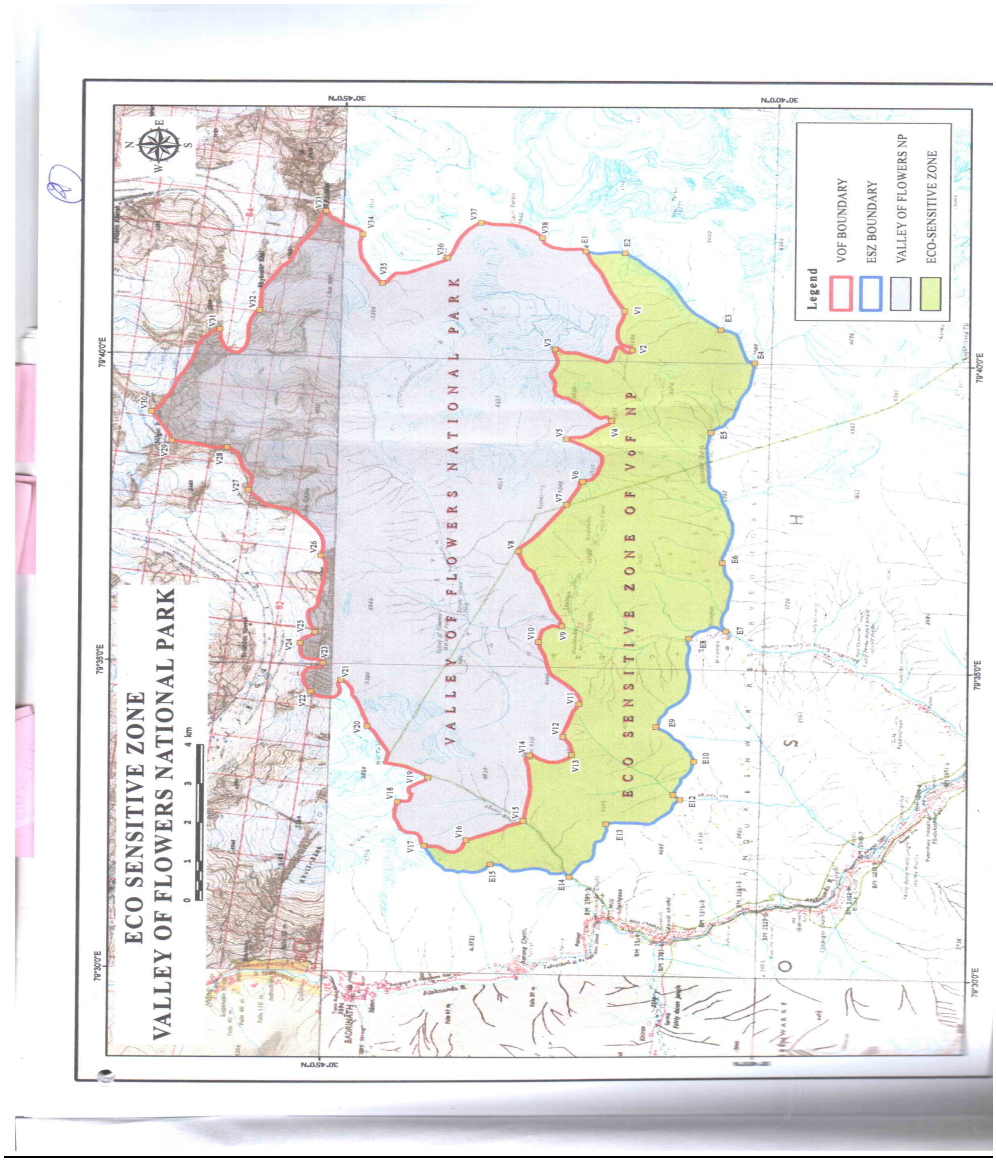

उपाबंध-II

फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अक्षांश और देशांतर

क्र.सं.	स्थिति	अक्षांश	देशांतर
1.	ई1	79° 41' 47.025" पू	30° 42' 11.411" उ
2.	ई2	79° 41' 45.851" पू	30° 41' 44.022" उ
3.	ई3	79° 40' 32.414" पू	30° 40' 36.306" उ
4.	ई4	79° 40' 0.785" पू	30° 40' 12.210" उ
5.	ई5	79° 38' 52.297" पू	30° 40' 41.142" उ
6.	ई6	79° 36' 45.034" पू	30° 40' 30.861" उ
7.	ई7	79° 35' 38.370" पू	30° 40' 27.216" उ
8.	ई8	79° 35' 30.706" पू	30° 40' 52.714" उ
9.	ई9	79° 34' 3.978" पू	30° 41' 13.714" उ
10.	ई10	79° 33' 30.439" पू	30° 40' 46.607" उ
11.	ई11	79° 32' 57.823" पू	30° 41' 0.329" उ
12.	ई12	79° 32' 53.024" पू	30° 40' 55.314" उ
13.	ई13	79° 32' 28.139" पू	30° 41' 46.480" उ
14.	ई14	79° 31' 35.543" पू	30° 42' 10.849" उ
15.	ई15	79° 31' 46.713" पू	30° 43' 5.657" उ

उपाबंध-III

मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना है ।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरे उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जाएं ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ।

   ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जाएं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ।

   ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जाएं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2015

S.O. 3235(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:-esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Valley of Flowers National Park is situated in District Chamoli in the state of Uttarakhand State on upper side of river Pushpawati and came into existence *vide* Uttar Pradesh Government Order no. 4278/14-3-66/80 dated 6th September 1982 and has an area of about 87.5 square kilometres. The main objective of forming Valley of Flowers National Park is to protect and conserve various species of flora and fauna. Valley of Flowers has been declared as World Heritage Site in the year 2005;

AND WHEREAS, Valley of Flowers National Park is a treasure land of exquisite floral and faunal diversity with myriads of alluring flowersand theflora of Valley of Flowers National Park encompasses over 5220 species of flowering plants and more than 500 non vascular plants typical of Western Himalayas of which about 300 species bear beautiful flowers that bloom in natural way in this valley from May to October. Primula (*Primula denticulate*) is one of the most beautiful flowering species besides Brahmakamal (*Saussureaobvallata*) and many others. Majority of these are medicinal plants.

AND WHEREAS, Valley of Flowers National Park is a benevolent gift of nature housing not only the floral diversity but also the faunal diversity. A total of 13 species of wild mammals have been within the Park and its vicinity. Some of them are Himalayan Black Bear (*Selenarctosthibetanus*), Himalayan Tahr (*Hemitragusjemlahicus*), Snow Leopard (*Pantherauncia*), and Common Leopard (*Pantherapardus*) Musk Deer (*Moschuschysogaster*), Serow (*Capricornissumatraensis*), Blue Sheep (*Pseudoisnayaur*), Himalayan Brown Bear. The Valley is also rich in the diversity of avifauna. Due to all these reasons Valley of Flowers has always been centre of attraction for nature lovers, botanists, and scientists. In order to maintain the glory of valley it has been declared as National Park in the year 1982;

AND WHEREAS, this Valley lies across the main valleys of Alaknanda and Dhauli Ganga in the Gharwal Himalayas of State of Uttarakhand State and Valley of Flowers is the second core zone of Nanda Devi Biosphere reserve. The park is nestled among the snow clad summits, *viz,* Nilgiri Parvat (6407 meter), Gauri Parvat, (6708 meter), Ratban (5400 meter), Saptasring (5025 meter) and Kuntkhal (5855 meter) and is surrounded by Ghangaria or Bhyundhar valley in the south.

AND WHEREAS, the closed vicinity of the National Park to human habitation, tourism activities during yatra season to Hemkund Sahib and Valley of Flowers around the National Park, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities in view of long term wildlife conservation;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Valley of Flowers National Parkas Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 4.35 kilometrefrom the boundary of the Valley of Flowers National Park in the State of Uttrakhand as the Valley of Flowers National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—**(1) The extent of Eco-sensitive Zone is spread over an area of 46.0 square kilometres with an extent varying from zero to 4.35 kilometre in south, south-east, south-west of the Valley of Flowers National Park. No Eco-sensitive Zone is proposed in north, north-east and north-west from the boundary of the Valley of Flowers National Park.

(2) The map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The latitude and longitude of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

(4) No revenue village around the Eco-sensitive Zone of Valley of Flowers National Park.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of one year from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(viii) Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The said Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government. —**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse. —**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 32, 35, 40 and 45 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to afforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Uttrakhand in consultation with the Departments of Revenue and Forests.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(ii) Construction of new hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Valley of Flowers National Park except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities as per law:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Area still the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage. -** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under. - (a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environmentand Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government,the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zoneshall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A.Prohibited Activities:		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
6.	Fencing of existing premises of hotels, lodges and resorts.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
7.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
8.	Introduction of exotic species.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
9.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
10.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
11.	Concreting around trees along trek path.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
12.	High mast lights.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
13.	DJ and loud music.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
14.	Sound producing Generator sets.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
15.	Littering.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
B. Regulated Activities:		
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the Central or State Act and the rules made there under.
17.	Religious tourism/Ecotourism.	As regulated under laws.
18.	Scientific studies/Research/ documentation.	As regulated under laws.
19.	High altitude trekking/ mountaineering/Adventure Sport.	As regulated under laws.

20.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of the National Tiger Conservation Authority.
21.	Drastic change of agriculture system.	As regulated under laws.
22.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
23.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
24.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
25.	Movement of vehicular traffic at night.	As regulated for commercial purpose under the laws.
26.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	As regulated under the laws.
27.	Protection of hill slopes and river banks.	As regulated under the laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	As regulated under the laws.
29.	Collection of Medicinal Plants /Herbs /Biological specimens / Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	As regulated under the laws.
30.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 As per the Zonal Master Plan: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per rules and regulations, if any; (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
31.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste,the regulations shall be followed.
32.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
33.	Security Forces Camp.	As regulated under the laws.
34.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive zone using only imported wood stock.
35.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	As regulated under the laws.
36.	Mules and Mules sheds.	As regulated under laws.

37.	Construction of new trek routes and maintenance of old trek routes.	As regulated under laws.
38.	Ropway projects.	As regulated under laws.
C. Permitted Activities:		
39.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	As permitted under the laws.
40.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
41.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
42.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
43.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
44.	Home Stays.	Shall be actively promoted.
45.	Cottage industries including village artisans, convenance stores and local amenities.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) The Director, Nandadevi Biosphere Reserve– Chairman;

(b) The District Magistrate, Chamoli – Vice Chairman;

(c) Representative of Wildlife Institute of India - Member;

(d) Sub-Divisional Magistrate, Joshimath – Member;

(e) Wildlife Warden, Valley of Flowers National Park-Member;

(f) Regional Officer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board– Member;

(g) Range Officer, Valley of Flowers National Park-Member;

(h) Head, Eco-development Committee, Bhyundar -Member;

(i) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Uttarakhand – Member;

(j) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Uttarakhand for a term of one year in each case - Member

(k) Deputy Conservator of Forests, Nanda Devi National Park –Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/99/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Valley of Flowers National Park, Uttarakhand.

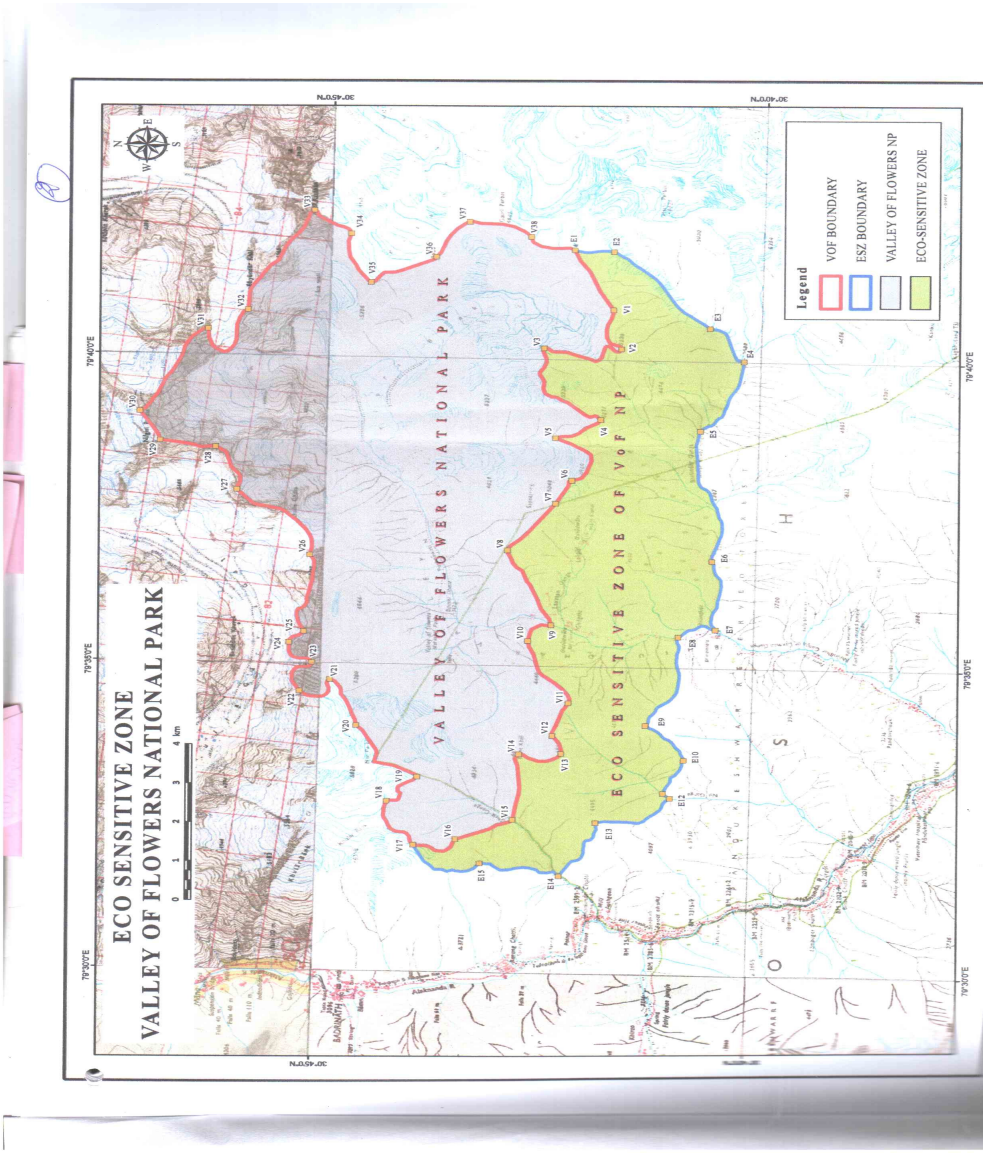

Annexure II

The latitude and longitude of Eco-sensitive Zone of Valley of Flowers National Park, Uttarakhand.

Sl. No.	Location	Latitude	Longitude
1.	E1	79° 41' 47.025" E	30° 42' 11.411" N
2.	E2	79° 41' 45.851" E	30° 41' 44.022" N
3.	E3	79° 40' 32.414" E	30° 40' 36.306" N
4.	E4	79° 40' 0.785" E	30° 40' 12.210" N
5.	E5	79° 38' 52.297" E	30° 40' 41.142" N
6.	E6	79° 36' 45.034" E	30° 40' 30.861" N
7.	E7	79° 35' 38.370" E	30° 40' 27.216" N
8.	E8	79° 35' 30.706" E	30° 40' 52.714" N
9.	E9	79° 34' 3.978" E	30° 41' 13.714" N
10.	E10	79° 33' 30.439" E	30° 40' 46.607" N
11.	E11	79° 32' 57.823" E	30° 41' 0.329" N
12.	E12	79° 32' 53.024" E	30° 40' 55.314" N
13.	E13	79° 32' 28.139" E	30° 41' 46.480" N
14.	E14	79° 31' 35.543" E	30° 42' 10.849" N
15.	E15	79° 31' 46.713" E	30° 43' 5.657" N

Annexure III

Proforma of Action Taken Report:- Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.